

11/2/19

आज यह परावली आवंटित करि अधिकारिता उपर
 आ-तथाधारा 152-CPC का पेशा करि पर पेशा मे
 ली गयी। आवंटि-पर प्रस्ता कर निर्णय कले समन
 संघक से एक लिखने से रह गया है। नो-आरिड मे
 जोडने हेतु निर्णय किया। अमील आवंटि को लुना गया।
 परावली का अवलोकन किया। एक मे गोपाल ठीक मे
 सदस्य से अपनी भूमि-पर 29PSB के मु-नं-46 के किने
 2 मे कोसा से रास्ता देने हेतु निर्णय किया था। परन्तु निर्णय
 मे संघक से एक लिखने से रह गया है। जिले की दुकाली की
 जानी उचित प्रतीत होती है।
 लिहाजा न्यायालय के निर्णय दिने 28.11.2018 के अतिरिक्त
 परा मे सीलरी पत्र मे मु-नं. 46 से पहले एक 29PSB पर
 लिखा एवं समजा जावे। अंफ 152CPC एवं नियम कर नम्बर
 से एक किया जाकर मूल परावली के साथ संलग्न रहे। परावली
 प्रकाशित नुसार प्रखिल फाट है। (राजेन्द्र सिंह)
 उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
 गयसिंहनगर

अ. 43
 अ. 8/2019
 152 CPC

